

राजस्थान सरकार पर्यावरण विभाग

कमरा नं. 8325, उत्तरी-पश्चिमी खण्ड, शासन सचिवालय, जयपुर
फोन: 0141-2227669, 2227838

क्रमांक: प.16(1)(4)/रां.गां.प.सं.पु-16/पर्या./2016

दिनांक: 24.10.2016

पर्यावरण संरक्षण/सुधार के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले
राजस्थान के नागरिकों/संगठनों से

“राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार वर्ष 2017”

हेतु प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते हैं :

1. पुरस्कार राशि रूपये 5.00 लाख एवं रजत कमल ट्रॉफी-ऐसे संगठन/संस्था को प्रदान किया जायेगा, जिसने पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य संपादित किया हो।
2. पुरस्कार राशि रूपये 3.00 लाख एवं रजत कमल ट्रॉफी-ऐसी नगर पालिका/नगर परिषद/नगर निगम को प्रदान किया जायेगा, जिसने पर्यावरण अधिनियम/नियमों की अनुपालना के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य संपादित किया हो।
3. पुरस्कार राशि रूपये 2.00 लाख एवं रजत कमल ट्रॉफी-ऐसे व्यक्ति को प्रदान किया जायेगा, जिसने पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य संपादित किया हो।

पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कम से कम 10 वर्षों का कार्यानुभव रखने वाले राजस्थान के किसी भी नागरिक (अपने अनुभव के समर्थन में प्रकाशित/क्षेत्र सम्बन्धी कार्य साक्ष्य के रूप में दिया गया हो)/राजस्थान में पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कार्यरत कम से कम पांच वर्षों का अनुभव रखने वाले गैर-सरकारी संगठन/राजस्थान के वन व पर्यावरण विभाग/सम्बन्धित जिला कलेक्टर/उप वन संरक्षक, वन विभाग/क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा राजस्थान के किसी भी नागरिक अथवा संगठन, जिनको पर्यावरण के क्षेत्र में कम से कम 5 वर्ष का कार्यानुभव हो, का नाम नीचे दिए गए विहित प्रपत्र में पुरस्कार हेतु प्रस्तावित किया जा सकता है। नगर पालिका/नगर परिषद/नगर निगम को दिये जाने वाले पुरस्कार हेतु निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग 5 नगर पालिका/नगर परिषद/नगर निगम के नाम प्रस्तावित करेंगे।

1. नामित व्यक्ति/संगठन का नाम और पता
2. प्रस्तावक का नाम और पता
3. नामित व्यक्ति की जन्म तिथि/आयु (व्यक्ति के मामले में)
4. नामित व्यक्ति का वर्तमान व्यवसाय (व्यक्ति के मामले में)
5. संगठन का प्रकार (संगठन के मामले में)
6. विगत में प्राप्त पुरस्कारों का विवरण (यदि कोई हों)
7. नामित व्यक्ति/संगठन द्वारा किये गये महत्वपूर्ण योगदान का विवरण
8. नामांकन के वर्ष से पिछले 3 वर्षों के दौरान प्राप्त निधियों का विवरण

विस्तृत विवरण के लिए कृपया विभाग की वेबसाइट environment.rajasthan.gov.in देखें।
निर्धारित प्रपत्र में सभी दृष्टि से पूर्ण नामांकनों को निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, पर्यावरण विभाग,
कमरा. नं. 8240/8325, उत्तरी-पश्चिमी खण्ड, शासन सचिवालय, जयपुर को भेजा जावे।
नामांकन के लिफाफे पर “राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार-2017 हेतु” लिखा जावे।

स्वयं/संबंधियों द्वारा प्रस्तावित नामांकनों एवं पर्यावरण विभाग को सीधे प्रेषित प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जायेगा।

नामांकन प्राप्ति हेतु अंतिम तारीख: 30 दिसम्बर, 2016

Government of Rajasthan
Environment Department

Room No. 8325, N-W Block, Secretariat, Jaipur.

Ph : 0141-2227669, 2227838

No. FI 6(1)(4)/RGSP-16/ENV/2016

Date : 24.10.2016

Nominations are invited

(from Residents / Organizations of Rajasthan only) for

"Rajeev Gandhi Paryavaran Sanrakshan Puraskar"

for the year 2017

1. A Prize of ₹ 5.00 lakh along with Silver Lotus trophy to the Organization /Institution that has done outstanding work in the field of conservation of environment.
2. A Prize of ₹ 3.00 lakh along with Silver Lotus trophy to the Municipality /Municipal Council/Municipal Corporation that has done outstanding work in the field of Implementation of Environmental Laws.
3. A Prize of ₹ 2.00 lakh along with Silver Lotus trophy to an Individual who has done outstanding work in the field of conservation of environment.

Any Resident of Rajasthan having at least 10 years' work experience in the field of environment (substantiated in support of his experience by published / field work) / NGO working in the field of environment with at least five years' experience/Environment and Forest Department of Rajasthan/ Concerned District Collector / Deputy Conservator of Forests, Forest Department of Rajasthan/Regional Officer, Rajasthan State Pollution Control Board can propose nomination of any resident or organization of Rajasthan who has at least 5 years' working experience in the field of environment. Name of 5 Municipalities / Municipal Council/ Municipal Corporation will be proposed by Director, Local Bodies for the award earmarked for municipalities. The nomination will be made in the proforma prescribed as under :

1. **Name and address of the nominee individual / organization**
2. **Name and address of the Proposer**
3. **Date of Birth / Age of the Nominee (in case of individual)**
4. **Present employment of the nominee (in case of individual)**
5. **Type of organization (in case of organization)**
6. **Details of previous awards received (if any)**
7. **Details of significant contributions made by nominee individual / organization**
8. **Details of funds received during the last 3 years prior to the year of nomination**

For details environment department's website environment.rajasthan.gov.in may be referred
Nominations complete in all respects in the prescribed proforma, should be sent
to the **Director cum Joint Secretary, Environment Department, Room No. 8240/8325,
North-West Block, Secretariat Jaipur.** On the envelop of the nomination
"For Rajeev Gandhi Paryavaran Sanrakshan Puraskar-2017" should be mentioned.

**Self nomination and nominations proposed by relatives and directly sent to
Environment Department will not be considered.**

Last Date of Receipt of Nominations: 30th December, 2016